राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 768 / 2024

जगदीश नारायण मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं उप सचिव–II, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् जयपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बस्सी, जयपुर।
5. श्री हरी नारायण मीणा, अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त एवं उप सचिव–II, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.02.2023 के द्वारा अपीलार्थी को अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.10.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन पंचायत समिति बस्सी, जयपुर से पंचायत समिति बस्सी जयपुर में किया गया, जिसकी अनुपालना में अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति बस्सी जयपुर में कार्य ग्रहण कर लिया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 05.04.2023 (अनुलग्नक–6) के द्वारा पंचायत समिति तूंगा से कार्यमुक्त कर पंचायत

समिति बस्सी में कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 27.09.2023 (अनुलग्नक–5) के द्वारा पंचायत समिति मौजमाबाद जिला दूदू के अन्दर शामिल की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति बस्सी जयपुर से पंचायत समिति मौजमाबाद, दूदू में बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मात्र 4 माह की अल्पावधि में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित करने के उद्देश्य से किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। नरेश कोली बनाम राजस्थान राज्य मामले में यह माना गया कि यदि स्थानान्तरण आदेश बिना सोच समझे एवं जल्दबाजी में पारित किया जाता है तो वह निष्पादन योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद पर वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रहने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति बस्सी जयपुर से पंचायत समिति मौजमाबाद, दूदू में प्रशासनिक आवश्यकता राज्यहित में किया गया है। **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि प्रत्यर्थी संख्या–5 को उसकी स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के प्रत्यर्थी संख्या–5 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद

नहीं मिलती है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।
6. आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)